"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2016 — ज्येष्ठ 26, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-111/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/812 रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

धीरज मेश्राम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ. ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 15 जून 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 11 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 11-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़ के आम निर्वाचन 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी धीरज मेश्राम द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी धीरज मेश्राम को दिनांक 27-4-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी धीरज मेश्राम को दिनांक 14-5-2015 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब आयोग कार्यालय में दिनांक 29-5-2015 को प्रस्तुत किया.

4. अभ्यर्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उन्होंने पूर्ण निर्वाचन व्यय का ब्यौरा विवरण दिनांक 15-1-2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था. उन्होंने स्वयं का हस्ताक्षरित शपथ पत्र दिनांक 29-12-14 को संलग्न किया था. अभ्यर्थी ने अपने जवाब के साथ

नोटरी से अभिप्रमाणित शपथ पत्र दिनांक 22-5-2015 भी प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव ने पत्र क्रमांक 533/ए. एस. स्था. नि./2015 दिनांक 3-8-2015 में अभिमत दिया कि श्री धीरज मेश्राम द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन व्यय का लेखा दिनांक 3-2-2015 को प्रस्तुत किया गया है. पंजी के प्रपत्र-10 शपथ-पत्र को नोटरी से अभिप्रमाणित नहीं कराया गया. अभ्यर्थी ने अपने जवाब के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र दिनांक 22-5-2015 प्रस्तुत किया है. अत: अभ्यर्थी के जवाब से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा अपने अभिमत में की गई है.

5. अभ्यर्थी धीरज मेश्राम को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 11 मई 2016 को आहूत कर उनका शपथपूर्वक कथन लिया गया. कथन में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय शपथ-पत्र नोटरी से अभिप्रमाणित नहीं करा पाया था. नोटरी से अभिप्रमाणित शपथ पत्र अपने जवाब के साथ दिनांक 29-5-2015 को प्रस्तुत कर दिया था. उनके द्वारा प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन भी किया गया.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी धीरज मेश्राम ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में विधि के अपेक्षानुसार प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**-प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**-अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् डोंगरगढ़ के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी धीरज मेश्राम ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित शपथ-पत्र के साथ दाखिल नहीं किया था. अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया. उसने अपने जवाब तथा शपथपूर्वक कथन में यह स्वीकार किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था. उन्होंने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना मिलने के उपरान्त अपने जवाब के साथ दिनांक 29-5-2015 को नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत अभिमत से भी उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है.

8. निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान निर्वाचन व्यय लेखा में उल्लेखित विवरण की प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए रखा गया है, ताकि निर्वाचन व्यय लेखा में असत्य विवरण का उल्लेख करने पर अभ्यर्थी इसकी जिम्मेदारी से मुक्त न हो सके. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना प्राप्त होने पर इस संबंध में संज्ञान लेते हुए अपने जवाब के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है. चूंकि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के विवरणों की प्रमाणिकता के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है. अतएव अभ्यर्थी धीरज मेश्राम के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 15 जून, 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.